सिविल जज सीनियर डिवीजन, त्वरित न्यायालय
गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

सिविल जज सीनियर डिवीजन, त्वरित न्यायालय गाजियाबाद

वाद सं0–1188 / 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. संजय राज सूब्बा पुत्र श्री डी0बी0 सूब्बा, निवासी–डिफेन्स कालोनी, मुरादनगर गाजियाबाद।
2. श्रीमति रेनू गोयल पत्नी श्री अनुराग गोयल, निवासी–एस0सी0–142, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

चूंकि ऊपर नामांकित वादी ने इस न्यायालय में विक्रय विलेख निरस्तीकरण हेतु वाद योजित किया है अतएवं आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उस आवेदन के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिये बतारीख 11.09.2019 बवक्त 10 बजे दिन में स्वयं या सम्पक अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजाता हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एकपक्षीय सुना जायेगा और आवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित आज बतारीख 14.08.2019 को जारी किया गया है।

आदेशानुसार

मुसरिम / रीडर

न्यायालय त्वरित सिविल जज (सी0डि0)

गाजियाबाद

सिविल जज (सी0डि0)
त्वरित न्यायालय गाजियाबाद
सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय त्वरित सिविल जज (सी0डि0) गाजियाबाद।
वाद सं0–716/2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड, गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. गोपीचन्द पुत्र श्री लिखीराम, निवासी–5, छोटा कैला, गाजियाबाद।
2. मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री एम0एल0 श्रीवास्तव, निवासी–20/4, लाल क्वार्टर, गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

चूंकि ऊपर नामांकित वादी ने इस न्यायालय में विक्रय विलेख निरस्तीकरण हेतु वाद योजित किया है अतएवं आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उस आवेदन के खिलाफ हेतु सदंर्शित करने के लिये बतारीख 12.09.2019 बवक्त 10 बजे दिन में स्वयं या सम्पक अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजाता हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक़्त आवेदन एकपक्षीय सुना जायेगा और आवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित आज बतारीख 13.08.2019 को जारी किया गया।

आदेशानुसार
मुंसरिम/रीडर
न्यायालय त्वरित सिविल जज (सी0डि0),
गाजियाबाद

अपर सिविल जज, (सी0डि0)
न्यायालय संख्या 9, गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड, कक्ष संख्या 9, गाजियाबाद।
मूल वाद संख्या 103/2018
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. श्री हरिराम मीना पुत्र श्री राम सहाय मीना, निवासी एम–42बी, रेलवे कालोनी, पानीपत, हरियाणा।
2. श्रीमति प्रकाशी देवी पत्नि श्री ओमपाल सिंह सिरोही, निवासी एफ–167, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत कराने निरस्त विक्रय पत्र दिनाँक 04–05–2006 के दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह–08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 2019 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या–9, गाजियाबाद

अपर सिविल जज, (सी0डि0)
न्यायालय संख्या 9, गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड, कक्ष संख्या 9, गाजियाबाद।
मूल वाद संख्या 104/2018
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड, गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. श्री तिलक राज पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी बी–23/बी–2, कैम्पस, हौज खास, नई देहली।
2. श्री सतीश अरोड़ा पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी बी–202, विवेक विहार, फेस–1, देहली–110095।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत कराने निरस्त विक्रय पत्र दिनाँक 31–03–2006 के दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह–08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 2019 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या–9, गाजियाबाद

अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या–9 गाजियाबाद
सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, कक्ष संख्या 9, गाजियाबाद।
मूल वाद संख्या 36/2018

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड, गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

1. श्री रुद्र प्रताप गौतम पुत्र श्री प्रेम प्रकाश गौतम, निवासी डी–65ए, जीवन पार्क, उत्तम नगर, परवा रोड़, नई देहली–110059।
2. श्री सुनील दत्त पुत्र श्री रुलिया राम, मार्फत श्री हरदेव सजपाल, निवासी 1/410, वैशाली, गाजियाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बावत निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2008 दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 13 माह–08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 19 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरुरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।

2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रुपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

दिनांकः

आज्ञा से मुन्सरिम,
न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0),
न्ययालय, सख्या–9, गाजियाबाद

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय सख्या–9, गाजियाबाद
सम्मन वास्ते करावाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड, कक्ष संख्या 9, गाजियाबाद
मूल वाद संख्या 960 / 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड़ रोड, गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी।

बनाम

1. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री वैजनाथ शर्मा, निवासी बी–142, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, देहली।
2. श्री सागर प्रकाश पुत्र श्री विमल कुमार सक्सैना, मार्फत आर0 कृष्णा मूर्ति डोर नम्बर 783, प्रथम तल, 13 क्रॉस, 16 मैन, बी0टी0एम0 सैकेण्ड स्टेज, बैंगलोर।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत कराने निरस्त विक्रय पत्र दिनाँक 27–02–2007 के दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 19 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह सन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,
अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या–9, गाजियाबाद

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय सख्या–9, गाजियाबाद
सम्मन वास्ते करावाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय नवम् अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड, गाजियाबाद
मूल वाद संख्या 712 सन् 2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड़ रोड, गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी।

बनाम

1. श्रीमति कमला भाटिया पत्नी श्री आर0सी0 भाटिया, निवासी सी–3/3413, जनकपुरी, नई देहली–110058।
2. श्री शंकर लाल पुत्र श्री सुखराम, निवासी सी–56, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद।

.....प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत कराने निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनाँक 12–06–07 के दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 30 माह 08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 19 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह सन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।
2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,
अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या–9, गाजियाबाद

अपर सिविल जज, (सी0डि0)
न्यायालय संख्या 9, गाजियाबाद

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, कक्ष संख्या 9, गाजियाबाद।

मूल वाद संख्या 37/2018

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड, गाजियाबाद द्वारा श्री दीनानाथ, अनुसचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

.....वादी

बनाम

श्री मथुरा प्रसाद दिनकर पुत्र श्री नाथुराम, निवासी ए0जी0–1/159 डी एम0आई0जी0 फ्लैट्स, विकासपुरी, नई देहली।

.....प्रतिवादी

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बावत निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनाँक 30–08–2008 दायर की है, लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 13 माह–08 सन् 2019 बवक्त 10:00 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमें के हालात से करार वाकई वाफिक किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुतल्लिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सकें, हाजिर हो और जनबा देही दावा की करें और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद आनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 08 सन् 2019 ई0 जारी किया गया।

इत्तिला

1. अगर आपको यह अन्देश हो कि आपके गवाह मर्जी से हाजिर न होंगे, तो वह अदालत हाजा से सम्मन बई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जायें और जिस दस्तावेज को किसी गवाह हाजिर से पेश कराने का आप इत्तेहफाक रखते है, वह उसे पेश कराई जायें, बशर्ते कि आप खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके, इस उम्र की दरखवास्त गुजरायें।

2. अगर आज मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं, तो रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करें, ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल दोनों पर हो, करना न पड़े।

आज्ञा से मुन्सरिम,

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0)
न्यायालय संख्या–9, गाजियाबाद